न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.
प्रकरण संख्या : 199/2011 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक :– 21.12.2011
फैसल दिनांकः– 27.03.2019

1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री उदयराम जी जाति पालीवाल ब्राहम्ण आयु 54 निवासी उपली ओडन हाल मु. झालो की मदार तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्री चैनराम पिता उदयराम जाति पालीवाल ब्राहम्ण आयु 55 वर्ष निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्री भेरूलाल पिता तुलसीराम जाति पालीवाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्री लक्ष्मीलाल पिता तुलसी राम जाति पालीवाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्री कन्हैयालाल पिता रामकिशनजी जाति पालीवाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. श्री पटवारी सा. पटवार हल्का उपली ओडन।
6. श्रीमान पंजीयक महोदय उपपंजीयन कार्यालय नाथद्वारा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री संजय माण्डोत, अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता विपक्षीगण

: : **आदेश** : :

दिनांक :– 27.03.2019

प्रार्थीया की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां राजस्व ग्राम उपलीओडन तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2064–67 की खाता संख्या 95 में

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

कुल किता 04 कुल रकबा 01–06 बीघा है। उक्त कृषि भूमियां वर्तमान मे विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार के रूप मे दर्ज है परन्तु मौके पर प्रार्थीया भी 1/2 हक व हिस्से पर काबिज होकर कृषि भूमियो का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थीया का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

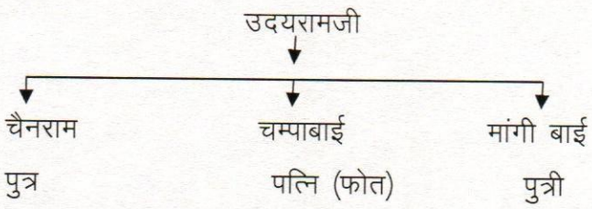

प्रार्थीया के परिवार के मूल पुरूष उदयराम जी थे जिनके एक पुत्र श्री चैनराम, एक पुत्री प्रार्थीया मांगीबाई तथा पत्नि चम्पाबाई हुई। चम्पाबाई की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार उदयराम जी की पुत्री होकर स्व. उदयराम जी की वैद्य प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी है। प्रार्थीया उदयरामजी की मृत्यु के पश्चात् पिछले कई वर्षो से निरन्तर उक्त कृषि भूमियो पर काबिज होकर स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग, उपयोग कर रही है। प्रार्थीया विधिपूर्वक उक्त कृषि भूमियो का उपयोग–उपभोग करने के साथ विवाह होने के बाद ससुराल झालो की मदार मे आकर निवास करने लगी एवं समय–समय पर जाकर उक्त कृषि भूमियो की समुचित देखभाल प्रबन्धन करती रही। प्रार्थीया को दिनांक 01.10.2011 को ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमियो में निर्माण कार्य चल रहा है तो प्रार्थीया तुरन्त मौका स्थल पर पहुंची तो वहा कुछ मजदूर पत्थर हटाने का कार्य कर रहे थे। प्रार्थीया के पूछने पर उन्होने बताया कि हमे तो चैनराम, भेरूलाल, लक्ष्मीलाल एवं कन्हैयालाल ने उक्त कार्य करने के लिये लगा रखा है। इस पर प्रार्थीया ने इन लोगो से पुछा कि आप लोग बिना ईजाजत के मेरे हक व हिस्से मे निर्माण कार्य कैसे करा रहे हो तो उन्होने कहा कि ये जमीन हमने अपने नाम करवा ली है तुम्हारा सरकारी रिकार्ड मे नाम भी नही है। इस पर प्रार्थीया द्वारा नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त कृषि भूमिया विपक्षी सं. 1 से 4 के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। प्रार्थीया अपने पिता स्व. उदयराम जी की पुत्री होकर भाई चैनराम के समान ही 1/2 हक व हिस्से पर काबिज है। विपक्षी सं. 1 ने गलत तरीके से अपने आप को ये जानते हुए भी कि वह उदयराम जी का अकेला वारिस नही है उनकी पुत्री प्रार्थीया जीवित हैं फिर भी उदयरामजी का अकेला पुत्र बनकर उक्त कृषि भूमियो को राजस्व रिकार्ड में अकेले अपने नाम अंकित करवा लिया। जबकि प्रार्थीया उदयराम जी की वैध पुत्री होने के नाते उनकी वैद्य प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी तथा वारिस है उनकी उक्त कृषि भूमियो में हक प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अपना हक की घोषणा करवाने के अधिकारी हे। उक्त भूमिया मे वर्तमान मे विपक्षी सं. 1 से 4 का नाम गलत रूप से बतौर खातेदार अंकित होने से उनके विरूद्ध उक्त कृषि भूमियो को किसी प्रकार से हस्तान्तरण से रूकवाने तथा विपक्षी सं. 1 से 4 के विरूद्ध उक्त कृषि भूमियो पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करवाने से रूकवाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से विपक्षी सं. 1 से 4 उक्त कृषि भूमियो को अपने नाम पर होने मात्र से विक्रय हस्तान्तरण कर देगें तथा निर्माण कार्य कर विवादग्रस्त स्थल की प्रकृति परिवर्तित कर देगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राथद्वारा जिला राजसमन्द

जिससके प्रार्थीया अपने सम्पत्ति के अधिकारो से महरूम हो जावेगी एवं उन्हे ऐसी अशोभनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नही होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष मे एवं विपक्षी सं. 1 से 6 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वे दोराने वाद विपक्षी सं. 1 से 4 उक्त कृषि भूमियो मे किसी भी रिती से विक्रय हस्तान्तरित नही करे एंव विपक्षी सं. 5 व 6 विक्रय एवं हस्तान्तरित सम्बन्धित विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को पंजीयन न करे एवं विपक्षी सं. 1 से 4 उक्त कृषि भूमियो के सम्बन्ध मे ऐसा कोई कार्य कृषि भूमियो के सम्बन्ध मे न करे न करावे जिससे उक्त कृषि भूमियो मे प्रार्थीया के हक व हिस्से मे कोई कमी आवे न स्वंय करे ना किसी अन्य से करावे। दोराने वाद ऐसा कर दे तो स्थिति पूर्ववत् करवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब मे वादग्रस्त कृषि भूमियां विपक्षी सं. 1 के खातेदारी एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त कृषि भूमियां पूर्व उदयराम जी के नाम पर अवश्य दर्ज थी परन्तु उदयराम जी की मृत्यु 1992 में हो गई तथा सन् 1992 में मृत्यु होने के पश्चात् उक्त कृषि–भूमियां अकेले विपक्षी संख्या 01 का आधिपत्य होने के कारण विपक्षी सं. 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में विरासत से दर्ज हुई तथा प्रार्थीया का उक्त वादग्रस्त कृषि–भूमियो में 1/2 हिस्से पर कभी भी आधिपत्य नही रहा इसलिये यह कहना गलत है कि प्रार्थीया 1/2 हिस्से पर काबिज होकर स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करती चली आ रही हो। उक्त सजरा जो प्रार्थीया द्वारा बताया गया है उसके संबंध मे कोई आपत्ति नही है। किन्तु प्रार्थीया का विवाह आज से 40 वर्ष पूर्व करवा दिया गया तथा प्रार्थीया झालो की मदार मे निवास कर रही है उसका वादग्रस्त कृषि–भूमियों पर कोई आधिपत्य नही रहा। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो पर विपक्षी सं. 1 करीब 20 वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाध रूप से आधिपत्य चला आ रहा है तथा प्रार्थीया को इस संबंध मे काई हक अधिकार भी थे तो वह भी समय सीमा से समाप्त हो चुके है तथा विपक्षी सं. 1 निरन्तर रूप से 12 वर्षो से भी अधिक समय से उक्त वादग्रस्त कृषि–भूमियो पर काश्त करने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार कृषक हो चुका है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जब लागू हुआ तब महिलाओ को अपने पिता की जायदाद मे हक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ परन्तु सन् 2005 से पूर्व यदि किसी प्रकार से कोई जायदाद विक्रय कर दी गयी या किसी प्रकार का कोई हक अधिकार अवशेष नही रहते है इसलिये जो प्रार्थीया ने 2005 के अधिकारो के तहत वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वह गलत है जबकि उक्त प्रार्थीया को पूरी तरह से उक्त कृषि–भूमिया विपक्षी सं. 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई जिसकी पूर्ण जानकारी थी। विपक्षी सं. 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त जायदाद विपक्षी सं. 2, 3 को जो भूमि विक्रय करना बताया गया है वह भूमि प्रार्थीया के पिता के जीवनकाल मे ही उनको विक्रय की गई थी परन्तु पंजीयन नही होने के कारण विपक्षी सं. 1 द्वारा मात्र पंजीयन करवाया गया जबकि विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 2, 3 से किसी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रकार से कोई विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त नही की तथा उक्त विक्रय प्रतिफल की राशि प्रार्थीया के पिता द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी इसलिये प्रार्थीया का किसी प्रकार से न तो उक्त वादग्रस्त जायदाद मे स्वामित्व अवशेष रहा तथा न ही प्रार्थीया अपने नाम पर घोषणा कराने की अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता पक्षकारन की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा कथन किया कि प्रार्थीया उदयलाल की पुत्री होकर वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थीया का भी हिस्सा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रार्थीया का भी अधिकार है। अतः वादग्रस्त आराजीयात का मूल वाद के निस्तारण तक विक्रय हस्तान्तरण नही किया जाने इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वादी द्वारा उदयलाल जी की मृत्यु कब हुई यह नही बताया। उदयलाल जी ने अपने जीवनकाल मे ही प्रति. सं. 2, 3 एवं 4 को विक्रय कर दिया था जिसका पंजीयन बाद मे हुआ सभी खरीददार bonafied है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष मे है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2064–67 की खाता सं. 95 आराजी सं. 561, 604, 613 एवं 614 कुल किता 04 कुल रकबा 01–06 बीघा मे चेनराम पिता उदयराम चम्पाबाई बेवा उदयराम ब्राहम्ण खातेदार के नाम दर्ज होना प्रकट होता है। जो कि विरासत से चम्पा बाई बेवा उदयराम के बजाय चेनराम पिता उदयराम ब्राहम्ण के नाम तत्पश्चात् विरासत से आ. न. 604 रकबा 0–05 बीघा भेरूलाल लक्ष्मीलाल पिता तुलसीराम ब्राहम्ण के नाम विक्रय से आ. नं. 613, 614 कुल किता 2 कुल रकबा 1–00 बीघा चेनराम पिता उदयराम ब्राहम्ण के बजाय कन्हैयालाल पिता रामकिशन पालीवाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे को स्वीकार करते हेए कथन किया है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात विरासत से नाम दर्ज हुई है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे बनता है।

<u>सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति</u> :–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे है। अप्रार्थी द्वारा बेचान–हस्तान्तरण किये जाने से वाद बहुलता बढेगी एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को होगी जिसका आकलन अर्थ मे संभव नही है। प्रार्थीया के वादग्रस्त आराजीयात मे हक–अधिकार मूल वाद मे तय होगें परन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश सुनाया जाता है:–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि विपक्षी सं. 1 से 4 वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरित नहीं करें। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.3.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द